न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 02/2021

अपीलकर्ता		उतरदातागण
1 मूलाराम पुत्र नरसींगाराम कुम्हार निवासी गोगाजी की खेजड़ी के पास, कुम्हारों का वास, आदर्श महाबार तहसील व जिला बाड़मेर	बनाम	1 ग्राम पंचायत महाबार जरिये सरपंच 2. जुगताराम पुत्र नरसींगाराम 3. जैराम पुत्र नरसींगाराम के कायम मुकाम 3/1 राणाराम पुत्र जेराम 3/2 गुणेशाराम पुत्र जेराम 3/3 हीरादेवी पत्नी जैराम 4. रिडमलराम पुत्र नरसींगाराम 5. नारायण पुत्र नरसींगाराम जातियान कुम्हार निवासी गोगाजी खेजड़ी के पास, महाबार तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री राणाराम गौड, वकील अपीलकर्ता।

आदेश

दिनांक 22/08/24

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं उतरदाता संख्या 02 से 05 मुतवफी नरसींगाराम के जांयदा पुत्र एवं पौत्र है। अपीलान्ट एवं उतरदाता संख्या 02 से 05 मुतवफी नरसींगाराम की खातेदारी की भूमि मौजा महाबार पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 381 रकबा 58.04, खसरा नम्बर 377 रकबा 13.00 बीघा, खसरा नम्बर 379 रकबा 10.08 बीघा की आई हुई है। वक्त सेटलमेन्ट उक्त भूमि का पर्चा लगान अपीलांट के पिता के नाम से जारी किया गया। मुतवफी नरसींगाराम के पांच जांयदा सन्तान होने के बाद भी नरसींगा पुत्र मेराज के देहान्त होने पर पटवारी हल्का महाबार द्वारा मुतवफी नरसींगाराम के वारिशान की जांच किये बिना अपीलकर्ता का नाम विलोपित करते हुए उतरदाता संख्या 02 से 05 के नाम विवादित नामान्तकरण संख्या 742 स्वीकृत किया गया है। अपीलकर्ता जन्म से ही अन्धा व्यक्ति होने से अविवाहित रहने के कारण उनके द्वारा भाई रिडमल के पौत्र अशोक को गोद लिया गया है। अपीलांट वर्तमान में अपने गोद पुत्र के साथ अपने 1/5 हिस्से की भूमि पर रहवासी ढाणी बनाकर काबिज है। अपीलांट जन्म से ही अन्धा होने से यही समझता रहा की उसके पिता के देहान्त के पश्चात उसका नाम भी विवादित भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज किया गया है। अर्सा 10 दिन पूर्व अपीलांट द्वारा उसके हिस्से की भूमि पर केसीसी बनवाने हेतु अपने गोद पुत्र को [illegible] पर पटवारी द्वारा बताया गया कि आपका नाम विवादित खेतो में दर्ज नहीं है। लिहाजा अपीलांट [illegible] नरसींगाराम का जांयदा पुत्र होने से उसका भी वादग्रस्त भूमि में 1/5 हिस्सा होने से मौजा महाबार के खसरा नम्बर 381, 377, 379 के सम्बन्ध में पारित नामान्तरकरण संख्या 742 बिना विधि के परीप्रेक्ष्य में तथा जांच किये बिना पारित किया गया है जो

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:23:41 IST
Reason: SelfAttested

रम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है, जिसे अपास्त करवाने का अपीलांट अधिकारी है। लिहाजा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर मौजा महाबार पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 381 रकबा 58.04, खसरा नम्बर 377 रकबा 13.00 बीघा, खसरा नम्बर 379 रकबा 10.08 बीघा भूमि के सम्बन्ध में पारित नामान्तरकरण संख्या 742 अपास्त करते हुए अपीलांट का नाम भी उतरदाता संख्या 02 से 05 के साथ संयुक्त खातेदारी में अंकित करवाने का आदेश फरमावें।

वकील अपीलकर्ता द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता जन्म से ही अन्धा व्यक्ति होने से अविवाहित रहने के कारण जन्म से ही अन्धा होने से यही समझता रहा की उसके पिता के देहान्त के पश्चात उसका नाम भी विवादित भूमि में खातेदार के रूप में दर्ज किया गया है। अर्सा 10 दिन पूर्व अपीलांट द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर केसीसी बनवाने हेतु अपने गोद पुत्र के साथ हल्का पटवारी से रिपोर्ट करवाने पर पटवारी द्वारा बताया गया कि आपका नाम विवादित खेतों में दर्ज नहीं होने का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ तब अपीलकर्ता ने नामान्तकरण व जमाबन्दी की नकले अपील प्रस्तुत करने से 01 माह पूर्व प्राप्त की तब अपीलान्ट का उक्त नामान्तकरण का ज्ञान होने पर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकार कर अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत म्याद में सुमार करने का निवेदन किया।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उतरदातागण ईकतरफा।

वकील अपीलकर्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 742 जमाबन्दी संवत् 2070 से 2074, खतौनी बन्दोबस्त,नक्शो, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं बैक डायरी का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण संख्या 742 नरसींगा पुत्र मेराज के वैध वारिशान की जांच किये बिना उतरदाता संख्या 02 से 05 के नाम पारित किया गया है, जबकि अपीलांट मूलाराम भी उतरदाता संख्या 02 से 05 का भाई एवं मुतवफी नरसींगा का पुत्र है। लिहाजा उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 742 को अपास्त किया जाकर पुनः नरसींगा पुत्र मेराज के वैद्य वारिशान की जांच करते हुए नये सिरे से नामान्तकरण पारित किये जाने हेतु तहसी[illegible] किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:23:41 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त [illegible] 05 म्याद अधिनियम अन्दर म्याद सुमार की जाती है तथा अपील स्वीकार की जाकर मौजा महाबार (वर्तमान राजस्व ग्राम आदर्श महाबार) पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 381 रकबा 58.04, मौजा महाबार (वर्तमान राजस्व ग्राम मंगलनगर) पटवार हल्का महाबार के खेत खसरा नम्बर 377 रकबा 13.00 बीघा, खसरा नम्बर 379 रकबा 10.08 बीघा भूमि के सम्बन्ध में उतरदाता संख्या 01 द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

2 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाडमेर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौजा महाबार (वर्तमान राजस्व ग्राम आदर्श महावार) पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 381 रकबा 58.04, मौजा महाबार (वर्तमान राजस्व ग्राम मंगलनगर) पटवार हल्का महाबार के खेत खसरा नम्बर 377 रकबा 13.00 बीघा, खसरा नम्बर 379 रकबा 10.08 बीघा भूमि में स्वर्गीय नरसींगा पुत्र मेराज के वैद्य वारिशों की जांच करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तद्नुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन कर प्रविष्टी पुनः दर्ज करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 22/08/24 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:23:41 IST
Reason: SelfAttested